लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 25 मार्च, 1998/ 4 चैत्र, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
18	3	पर्यट	पर्यटन
18	6	कंपनी काय	कंपनी कार्य
18	नीचे से 9	श्री पंडारू दत्तात्रेय	श्री बंडारू दत्तात्रेय
39	11	श्री यशवत्त सिन्हा	श्री यशवंत सिन्हा

द्वादश माला खंड 1, अंक 3

बुधवार, 25 मार्च, 1998

4 चैत्र, 1920 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम० आर० खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 25 मार्च, 1998/4 चैत्र, 1920 (शक)

	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	2-8
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया	9-15
मंत्रियों का परिचय	17-20
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हुई प्राकृतिक आपदा	20-21
सभा पटल पर रखे गए पत्र	26-27
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां - *एक समीक्षा*-सभा पटल पर रखी गई	27
अंतरिम बजट (रेल) - 1998-99	34-38
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) - 1997-98	38
अंतरिम बजट (सामान्य) - 1998-99	39-42
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) - 1997-98	42
वित्त विधेयक, 1998 - पुर:स्थापित	42-43
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में हुई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में	43-52

लोक सभा

बुधवार 25 मार्च, 1998/ 4 चैत्र, 1920 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव उन सदस्यों का नाम पुकारें जिन्होंने अभी तक शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

जनरल नेबिले फ्रोली (नामनिर्दिष्ट)

डॉ. बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान से 105 से अधिक लोगों की मौत हुई है। यह भीषण तूफान है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महासचिव राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति का अभिभाषण।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मंत्रियों का परिचय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस मद पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अगली मद पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह निधन संबंधी उल्लेख के बाद लिया जाएगा।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : पहले निधन संबंधी उल्लेख लिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय पहली मद निधन संबंधी उल्लेख थी। हम उसका व्यतिक्रम नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, निधन संबंधी उल्लेख के बाद व्यवस्था के प्रश्न भी हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : जिन लोगों की तूफान के कारण मौतें हुई हैं उनके बारे में निधन संबंधी उल्लेख किया जाना चाहिए। महोदय उनके बारे में यहां भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन लोगों की मौतें कल हुई हैं...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 105 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : 105 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। मैं उस मद पर आ रहा हूं।

अपराह्न 12.23 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद और अपने ग्यारह भूतपूर्व सम्माननीय सदस्यों—श्री श्रीकृष्ण वैजनाथ धमनकर, श्रीमती विमला देशमुख, सर्वश्री महेन्द्र सिंह साथिआनवाला, चकलेश्वर सिंह, त्रिदिब चौधरी, नूरूल इस्लाम, मोहम्मद इदरीस अली, बिमलकान्ति घोष, एम. ए. श्रीनिवासन, वैद्य दाऊ दयाल जोशी और श्री भोलानाथ सेन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री गुलजारी लाल नन्दा ने पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा में 1952 से 1967 तक तत्कालीन बम्बई राज्य के साबरकांठा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बाद में वे चौथी और पांचवी लोक सभा के दौरान 1967 से 1977 तक हरियाणा के कैथल संसदीय क्षेत्र से चुने गये थे।

एक योग्य सांसद होने के नाते वे देश के शासन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 1952 से 1957 के दौरान श्री नन्दा योजना तथा सिंचाई और विद्युत विभाग के मंत्री थे, 1957-62 के दौरान श्रम रोजगार और योजना मंत्री थे, 1962-63 के दौरान योजना मंत्री थे। 1963-66 के दौरान गृह मंत्री थे और 1970-71 में वे रेल मंत्री रहे। वह 27 मई, से 9 जून, 1964 तक और 11 से 24 जनवरी, 1966 तक दो बार भारत के प्रधान मंत्री रहे।

इससे पहले 1937-39 और 1947-50 में श्री नन्दा मुम्बई विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1937-39 के दौरान मुम्बई राज्य सरकार से संसदीय सचिव (श्रम और उत्पाद) तथा 1947-50 में श्रम तथा आवास मंत्री के रूप में कार्य किया।

वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, श्री नन्दा 1921 में सहयोग आन्दोलन से जुड़े। उन्होंने 1932 में सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। अपनी देशभक्ति के कारण उन्हें कई बार बंदी बनाया गया। उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद श्री नन्दा ने एक सच्चे गांधीवादी होने के नाते एक शुद्ध और पवित्र जीवन का निर्वाह किया।

श्री नन्दा ने अनेक देशों की यात्रा की थी। 1947 में एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए सरकारी प्रतिनिधि के स्थान पर उन्हें भेजा गया था। उन्होंने 1955 में कोलम्बो प्लान कन्सलटेटिव कमेटी के भारतीय प्रतिनिधिमंडल तथा 1959 में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

जुलाई, 1997 में देश ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" में सम्मानित किया गया था। पूर्व में उन्हें 'पद्मविभूषण' से भी सम्मानित किया गया था।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता श्री नन्दा 1921 से विभिन्न मजदूर संघों से विभिन्न रूप में संबद्ध रहे। उन्होंने सभा की कार्यवाही में अत्यधिक रूचि ली और अपने कठिन परिश्रम के बल पर वह देश के एक अत्यधिक सफल संसदविद् हुए।

एक लेखक के रूप में, श्री नन्दा ने विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। उनकी प्रकाशित कृतियों में *'सम आस्पेक्ट्स ऑफ खादी'*, *'हिस्ट्री ऑफ वेज एडजस्टमेंट इन अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री'*, *'एप्रोच टु दि सेकंड फाइव-ईयर प्लान'* और *'सम बेसिक कॅसीडरेशन'* शामिल हैं।

श्री गुलजारी लाल नन्दा का निधन सौ वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में 15 जनवरी, 1998 को हुआ।

श्री ई॰ एम॰ एस॰ नम्बूदरीपाद, जिन्हें "ई॰ एम॰ एस॰" के नाम से जाना जाता है, का जन्म केरल के मालाबार जिले में एक अभिजात रूढ़ीवादी ब्राह्मण परिवार में जून, 1909 में हुआ था। स्नातक स्तर तक आते ही उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़ीवादिता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने 1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें केरल प्रोविंसियल कांग्रेस कमेटी का महासचिव चुना गया। 1937 में उन्होंने स्वर्गीय श्री पी॰ कृष्णापिल्लई के साथ केरल में कांग्रेस में ही पहला कम्युनिस्ट ग्रुप बनाया।

श्री नम्बूदरीपाद देश में कम्युनिस्ट आन्दोलन के प्रवर्तक थे और उन्हें देश की राजनीति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभारने के लिए अहम भूमिका निभानी थी।

एक नेता के रूप में उन्होंने 1957 में समूचे विश्व में प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का नेतृत्व किया जब वह केरल के मुख्यमंत्री बने थे। 1967 में वह पुनः इस पद पर आसीन हुए। वह 1969 से 1970 तक और बाद में 1977 में केरल विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे।

एक विवेकशील राजनीतिज्ञ के साथ-साथ वह एक लेखक, इतिहासकार और एक सामाजिक टीकाकार थे। पुस्तकों और लेखों से हुई उनकी समस्त आय पार्टी को चली जाती थी क्योंकि उन्होंने एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया।

श्री ई॰ एम॰ एस॰ नम्बूदरीपाद का निधन 89 वर्ष की आयु में 19 मार्च, 1998 को केरल के तिरुअनन्तपुरम में हुआ।

श्री श्रीकृष्ण वैजनाथ धमनकर महाराष्ट्र के भिवन्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1971-77 के दौरान पांचवी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री धमनकर पेशे से व्यापारी थे और जाने माने राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए भिवन्डी और थाणे जिलों में चालीस साल तक अथक प्रयास किए।

श्री धमनकर प्रसिद्ध शिक्षाविद् थे और उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए काफी मेहनत की। वे अपने क्षेत्र में कई शैक्षिणक और सामाजिक संस्थान से जुड़े थे।

श्री धमनकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और बाल कल्याण, कृषि और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी काफी काम किया।

श्री धमनकर का निधन 90 वर्ष की आयु में 6 अप्रैल, 1995 को भिवन्डी में हुआ।

श्रीमती शिमला देशमुख ने 1965-67 के दौरान महाराष्ट्र के अमरावती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तीसरी लोक सभा में किया।

श्रीमती देशमुख 1967-72 के दौरान राज्य सभा की भी सदस्य थीं।

श्रीमती देशमुख सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थीं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयास किये। वे अखिल

भारतीय महिला कान्फ्रेंस की विदर्भ शाखा की सदस्य थीं और भारतीय ग्रामीण महिला संघ की संस्थापक सदस्य थीं।

श्रीमती देशमुख ने कई देशों का भ्रमण किया था और अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्त्ता सम्मेलन जो टोरंटो, कनाडा में 1954 में हुआ था, की प्रतिनिधि थीं। वह टोरंटो कान्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूथ ग्रुप की नेता चुनी गई थीं।

श्रीमती विमला देशमुख का निधन 91 वर्ष की आयु में नागपुर, महाराष्ट्र में 9 सितम्बर, 1997 को हुआ।

श्री महेन्द्र सिंह साथिआनवाला ने 1977-79 के दौरान छठीं लोक सभा में पंजाब के फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व 1969-77 के दौरान वे पंजाब विधान सभा के सदस्य थे।

पेशे से कृषक, श्री साथिआनवाला जाने माने राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वे अपने जिला पंचायत समिति के भी अध्यक्ष थे और फिरोजपुर जिला परिषद् के उपाध्यक्ष भी रहे थे। श्री महेन्द्र सिंह साथिआनवाला का निधन 66 वर्ष की आयु में 7 नवम्बर, 1997 को फिरोजपुर में हुआ।

श्री चकलेश्वर सिंह 1971-77 के दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री सिंह एक कृषक होने के साथ-साथ सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी थे। वह विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य थे तथा उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री सिंह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे तथा 1942 में "भारत छोड़ो आन्दोलन" में भाग लेने पर उन्हें जेल भेजा गया।

श्री चकलेश्वर सिंह का निधन 75 वर्ष की आयु में मथुरा, उत्तर प्रदेश में 14 नवम्बर, 1997 को हुआ।

श्री त्रिदिब चौधरी, 1952-84 के दौरान पश्चिम बंगाल के बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली से सातवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह राज्य सभा के लिए जुलाई, 1987 तथा अगस्त, 1993, दो बार सदस्य निर्वाचित हुए।

श्री चौधरी जो एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, को 1931 से 1937 तक तथा 1940 से 1946 तक एक संदिग्ध क्रांतिकारी के रूप में बिना मुकदमा चलाये नजरबंद किया गया था। श्री चौधरी के पुर्तगाली उपनिवेशवाद के विरुद्ध "लिबेरेशन सत्याग्रह मूवमेंट" में भाग लेने के लिए गोवा में पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा जेल भेजा गया।

एक सक्षम संसदविद् होने के नाते, श्री चौधरी विदेश तथा रेल संबंधी स्थायी समितियों और राज्य सभा के अधीनस्थ विधान संबंधी समिति सहित कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कामगार वर्ग तथा युवाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया और वह विभिन्न सामाजिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों से भी जुड़े रहे।

एक लेखक के रूप में उन्होंने विभिन्न साहित्यक और राजनीतिक पत्रिकाओं में हिन्दी, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में अनेक लेख लिखे।

श्री त्रिदिब चौधरी का निधन 86 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल में 21 दिसम्बर, 1997 को हुआ।

श्री नूरुल इस्लाम सातवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1983-84 और 1991-97 तक असम के धुबरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पहले 1972-78 तक वह असम विधान सभा के सदस्य थे। वह 1974-78 के दौरान असम विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति थे।

श्री नूरुल इस्लाम एक योग्य सांसद थे और लोक सभा की प्राक्कलन समिति और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे तथा उद्योग और रक्षा मंत्रालयों की सलाहकारी समितियों के भी सदस्य थे।

एक प्रख्यात शिक्षाविद् श्री नूरुल इस्लाम ने असम में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना में भूमिका निभाई।

श्री नूरुल इस्लाम का निधन 66 वर्ष की आयु में 30 दिसम्बर, 1997 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री मोहम्मद इदरीस अली ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1996-97 के दौरान पश्चिम बंगाल की जंगीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व वह 1969-77 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य थे। वहां वह प्राक्कलन समिति के सभापति थे तथा लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य थे। पेशे से वकील और प्रख्यात शिक्षाविद् श्री इदरीस अली को अनेक विद्यालयों, पुस्तकालयों और क्लबों की स्थापना में भूमिका रही है।

श्री मोहम्मद इदरीस अली को 65 वर्ष की आयु में 30 दिसम्बर, 1997 को पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद शहर में निधन हुआ।

श्री विमलकांति घोष चौथी और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1967-70 और 1984-89 तक के दौरान पश्चिम बंगाल के सीरमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री घोष अनेक सामाजिक और ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों से जुड़े रहे।

एक प्रख्यात शिक्षाविद्, श्री घोष ने शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया।

श्री विमलकांति घोष का निधन 74 वर्ष की आयु में 1 जनवरी, 1998 को सीरमपुर में हुआ।

श्री एम॰ ए॰ श्रीनिवासन संविधान सभा के सदस्य थे और 1947-48 के दौरान तत्कालीन ग्वालियर रजवाड़े का प्रतिनिधित्व किया।

श्री श्रीनिवासन का तत्कालीन मैसूर राज्य में सिविल सेवाओं में शानदार जीवन रहा है। उन्होंने लंदन में मैसूर के ट्रेड कमीश्नर के रूप में भी कार्य किया। दूसरे महायुद्ध के दौरान श्री श्रीनिवासन ने भारत सरकार में आपूर्ति और क्रय के नियंत्रक का पदभार भी संभाला।

देश में सहकारिता क्षेत्र की आवाज के रूप में जाना जाने वाले श्री श्रीनिवासन जोन टेलर कंपनी के प्रथम भारतीय चेयरमैन थे जो उस समय कोलार, सोना खानों में सोने का खनन कर रही थी। उन्होंने कंसोलिडेटिड काफी लिमिटेड और काफी लैंड्स और इंस्ट्रीज के चेयरमैन के रूप में भी सेवा की। उन्होंने एयरइंडिया, बकिंघम और कर्नाटिक मिल्स और दूसरी कंपनियों के निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

वह दीवान सर एम॰ माधव राव के अधीन मैसूर रजवाड़े में मंत्री बने और 1943-1946 के दौरान उद्योग, कृषि और खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति जैसे विभागों का कार्य देखा। वह महाराज जीवाजीराव सिंधिया के अधीन भारतीय संघ में रजवाड़ों के विलय के संकट काल में तत्कालीन ग्वालियर रजवाड़े के दीवान (कार्यकारी परिषद् का वाइस प्रेजीडेंट) बने।

उन्होंने मैसूर के हबल में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की, आत्म जीवनी लिखी और "दी राज, महाराजा एंड मी" शीर्षक की एक पुस्तक भी लिखी।

श्री श्रीनिवासन वर्ष 1976-79 के दौरान ग्रेटर मैसूर वाणिज्य और उद्योगमंडल के संस्थापक प्रेसीडेंट थे और उन्होंने उसके विकास के लिए अथक श्रम किया।

श्री एम॰ ए॰ श्रीनिवासन, का कर्नाटक राज्य के बंगलौर में 15 जनवरी, 1998 को 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी नौवीं से ग्यारहवीं लोक सभाओं के सदस्य रहे और उन्होंने 1989-97 के दौरान राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वर्ष 1977-89 के दौरान वह राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी व्यवसाय से चिकित्सक थे। वह भारतीय औषधियों की बहु प्राचीन प्रणाली के समर्थक थे तथा उन्होंने सदन में भारतीय औषधियों के मूल्यों पर कई बार प्रकाश डाला।

वैद्य जोशी एक समर्थ संसदविद् थे। वह प्राक्कलन समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी का निधन 67 वर्ष की आयु में 16 जनवरी, 1998 को जयपुर राजस्थान में हुआ।

श्री भोलानाथ सेन ने आठवीं लोक सभा के दौरान 1984-89 तक पश्चिम बंगाल के कलकत्ता दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री सेन 1972-82 के दौरान पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। श्री सेन पेशे से एक वकील थे और 1971-72 के दौरान पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता थे।

श्री भोलानाथ सेन 1972-77 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। वह एक योग्य सांसद थे और 1985-86 के दौरान लोक सभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

श्री भोलानाथ सेन का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 जनवरी, 1998 को कलकत्ता में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में तूफान के कारण हुई त्रासदी में 100 से भी अधिक व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो गई। तूफान के साथ भारी वर्षा आई जिससे उड़ीसा के बालासौर जिले में एक प्राथमिक विद्यालय का भवन गिर गया और 16 बच्चे मर गये। इससे अनेक लोग बेघर हो गये हैं तथा सम्पत्ति का अत्यधिक नुकसान हुआ है। हम इस त्रासदी पर शोक व्यक्त करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 12.38 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय मेरा नियम 376 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए तूफान पीड़ितों के संबंध में अपने विचार रखें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट के लिए शांत रहें। हमारे पास नियम कार्यसूची है। मैं अब तुम्हें बोलने का मौका दे रहा हूं।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, निधन संबंधी उल्लेख में एक शुद्धि करनी पड़ेगी। संख्या 3 में श्री श्रीकृष्ण बैजनाथ धनकर के स्थान पर श्री श्रीकृष्ण बैजनाथ धमन्दकर होना चाहिए। यह शुद्धि करनी होनी।

अध्यक्ष महोदय : हम वह शुद्धि करेंगे।

अपराह्न 12.41 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव महोदय राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

महासचिव : महोदय, मैं 25 मार्च 1998 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण* की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण,

मुझे लोक सभा के 12वें चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए बहुत हर्ष है। मैं इस नई लोक सभा के सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

मैं भारत के निर्वाचन आयोग का भी आम चुनावों को तत्परता और कुशलता से सम्पन्न कराने के लिए धन्यवाद करता हूं।

हाल ही में संपन्न हुए मध्यावधि चुनाव ने बदलाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में हमारे लोगों के दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित किया है। ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कम मतदान होगा जबकि लगभग 62 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव परिणाम इस बात के द्योतक हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्थान मिलना चाहिए। मेरी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इन आकांक्षाओं की पूर्ति हो और साथ ही राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखा जाए।

संसदीय गणित से ही सुशासन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अपितु संसदीय बहुमत और अल्पमत के भाव से ऊपर उठकर तथा सहयोग, मेल मिलाप और आम सहमति की भावना से कार्य करने की इच्छा से ही इसका समाधान निकल सकता है। मेरी सरकार इसी भावना को लेकर शासन में एक नया मार्ग तैयार करेगी जिसका उद्देश्य एकता लाना होगा, न कि फूट डालना, अतीत के तुच्छ विरोधों के स्थान पर वार्तालाप, बहस और चर्चा का दौर शुरू किया जाएगा।

मध्यावधि चुनावों के बाद अब राष्ट्र एक ऐसी सरकार को देखना चाहता है जो वास्तव में काम करके दिखाए। सरकार ठीक यही काम करने का इरादा रखती है : अभी जो एकदम तुरंत कार्य किए जाने हैं उनमें 1997-78 की पूरक मांगें और 1998-99 का लेखानुदान पारित करना शामिल है। इसके बाद तुरंत ही विधायी कार्यों सहित शेष निलंबित मामलों को लिया जाएगा।

अब आरंभ में, हम इस दिशा में सभी प्रयास करेंगे जिससे एक नए भारत का निर्माण किया जा सके—जो एक ऐसा भारत हो, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार के तीनों अभिशापों से मुक्त हो, एक ऐसा भारत हो जहां निरक्षरता और रोग का नामोनिशान न रहे, एक ऐसा भारत जहां अधिकाधिक लोगों को लाभप्रद रोजगार मिल सके, एक ऐसा भारत जहां प्रत्येक नागरिक, चाहे उसकी कोई जाति, नस्ल या धर्म हो, भारतीय होने का गौरव अनुभव करे।

सेक्युलरवाद भारतीय परम्पराओं का अंतरंग भाग है। मेरी सरकार देश के सेक्युलर मूल्यों को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों की सहायता करना है जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं और जो शक्ति संपन्न नहीं हैं। हमारे एक-तिहाई से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इससे भी अधिक संख्या उन लोगों की है जिन्हें बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य-चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हमारे इस विशाल जनसमूह को राष्ट्र की समृद्धि में अपना सार्थक हिस्सा मिलना चाहिए।

सरकार बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था कर प्रत्येक परिवार के लिए खाद्यान्न-सुरक्षा सुनिश्चित कर, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि कर तथा यथा-संभव अधिक से अधिक लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करके इन तीन रणनीतियों के जरिए इस लक्ष्य को पूरा करना चाहती है।

अभी तक सामाजिक-आर्थिक नीतियों की एक कमजोरी यह रही है कि सामाजिक क्षेत्र की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। सरकार सामाजिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में और अधिक धन लगाने की प्रतिज्ञा करती है। शिक्षा पर व्यय को उत्तरोत्तर सकल घरेलू उत्पाद के छः प्रतिशत तक ले जाने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाएगा। सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ एक निर्धारित समयावधि में प्रत्येक गांव तथा बस्ती में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

---

* राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी में दिया। [पुस्तकालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2/98]

* राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिन्दी रूपांतर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

हमारी बढ़ती जा रही जनसंख्या की दर गंभीर चिंता का विषय है। सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य होगा कि अन्य बातों के अलावा लोगों को प्रोत्साहनों तथा हतोत्साहनों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाए।

सभ्य समाज में, बच्चों का जन्म सुखमय जीवन बिताने के लिए होता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में अधिकांश बच्चे पैदा होने के बाद फैक्टरियों, कारखानों और खेतों में मेहनत मजदूरी करने में लग जाते हैं। मेरी सरकार मानती है कि बच्चों को स्कूलों और खेल के मैदानों में जाना चाहिए, न कि वे अपना जीवन मेहनत-मजदूरी करने में बिताएं। संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को क्रियान्वित करने के अलावा सरकार बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय अधिकार-पत्र तैयार करेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई बच्चा भूखा न सोए। बच्चों के अधिकार हैं और इनका सम्मान किया जाएगा।

आज जो लिंग असमानता तथा अन्याय, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसरों और राजनैतिक प्रतिनिधित्व के मामलों में दिखाई पड़ता है, उसे समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सरकार महिलाओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करेगी ताकि महिलाओं में साक्षरता की कमी की बाधा को दूर करने में भारत विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण बन सके। मेरी सरकार महिलाओं की शिक्षा पर धन व्यय कर भारतीयों की भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए धन व्यय करेगी।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण संबंधी लंबित विधेयक को तुरंत लिया जाएगा। महिला उद्यमियों के लिए एक विकास बैंक स्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार का पहला बैंक होगा।

सरकार कानूनी, कार्यपालिका संबंधी एवं समाज के प्रयासों को एक साथ मिला करके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के तेजी से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति संवर्धन तथा उत्थान का प्रयास करेगी। मेरी सरकार राज्य स्तर पर शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के मौजूदा प्रतिशत को बनाए रखने के समुचित उपाय करेगी। अपने इस विश्वास के साथ कि शासन का उद्देश्य फूट डालने की अपेक्षा एकता में पिरोना होना चाहिए, सरकार सामाजिक टकराव और अन्याय की बजाय सामाजिक समरसता तथा न्याय का वातावरण बनाने का प्रयास करेगी।

समृद्धि एवं आर्थिक उन्नति का लाभ कुछ थोड़े से लोगों तक सीमित न रहकर अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अतः मेरी सरकार के दो उद्देश्य होंगे, एक तो रोजगार के अवसरों का सृजन करके गरीबी को पूर्णतया समाप्त करना और दूसरे सकल घरेलू उत्पाद की 7 से 8 प्रतिशत तक की अधिक अभिवृद्धि दर को निरंतर कायम रखना। मेरी सरकार की राष्ट्रीय विकास की योजना का मूल मंत्र "बेरोजगारी हटाओ" होगा।

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। सरकार आवास इकाइयों के निर्माण की गति में तेजी लाने तथा इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करने के लिए नीतियां तैयार करेगी ताकि सबके लिए आवास का सपना साकार हो सके।

विद्युत, सड़कों तथा पुलों, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों, सामुद्रिक पत्तनों, नौवहन, हवाई अड्डों, दूरसंचार तथा सूचना टेक्नालॉजी सहित मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में पूंजी निवेश को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। सरकार राजकोषीय एवं मुद्रा नीतियों का एक ठोस ढांचा तैयार करेगी।

सरकार का यह विश्वास है कि भारत का निर्माण भारतीय ही कर सकते हैं-और करेंगे। कोई भी देश जो अधिकांशतया अथवा पूर्णतया विदेशी संसाधनों पर निर्भर करता है सच्चे अर्थों में समृद्ध नहीं हो सकता। अतः अगले पांच वर्षों तक राष्ट्रीय बचत को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत तक करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र तथा भौतिक मूलभूत ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत भाग अन्गिमित क्षेत्र से प्राप्त होता है जो अब तक उपेक्षित रहा है सरकार का देश में विद्यमान लाखों लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने का विचार है। अर्थव्यवस्था के इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसमें रोजगार के अवसरों के सृजन एवं विकास की अपार क्षमता है, सरकार एक समर्पित विकास बैंक स्थापित करने पर विचार करेगी।

सरकार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में श्रमिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी। कृषि श्रमिकों, जो कि अधिकतर असंगठित हैं, के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

कृषि के क्षेत्र में धन लगाने में लगातार कमी करते रहने के कारण इसे हानि उठानी पड़ी है। सरकार इस कमी को रोकेगी और हमारी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण खण्ड के लिए योजना राशि का 60 प्रतिशत तक धन निर्धारित करेगी। आर्थिक सहायता जारी रहेगी, परन्तु जिन्हें यह सहायता मिलनी चाहिए, उनके बारे में पहचान करने में लक्ष्य को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार हमारे किसानों को समृद्धि के लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें एक सशक्त तथा आत्म-विश्वासी समुदाय के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण भारत के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने के अलावा मेरी सरकार कारगर फसल बीमा नीतियां शुरू करके किसानों को आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी संरक्षण प्रदान करेगी। सभी प्रयास किए जाएंगे जिससे तेजी से ग्रामीण औद्योगीकरण किया जाए जिसमें कृषि आधारित उद्योग पर विशेष बल दिया जाएगा।

चूंकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत उपाय करेगी कि विकास के सभी कार्यक्रम दीर्घकालिक विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हों। सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि दीर्घकालीन विकास की सफलता और भारत को एक समृद्ध, सुदृढ़ तथा स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने में विज्ञान और टेक्नालॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में मेरी सरकार तुरंत ही सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी और ऐसे तौर-तरीके अपनाने का प्रयास करेगी जिनसे पंचायत स्तर तक और अधिकार सौंपे जा सकें। प्राय: राज्यपाल के पद के मामले में अशोभनीय विवाद खड़े हुए हैं। राजभवनों का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 18 भाषाओं को सरकारी भाषाओं के रूप में मानने की व्यावहारिकता के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाएगी।

सरकार राज्यों द्वारा संसाधनों के और अधिक आबंटन की मांग पर ध्यान देगी। एक पिछड़ा क्षेत्र आयोग बनाया जाएगा जो उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है ताकि ये क्षेत्र विकास में पीछे न रह जाएं।

सरकार उत्तर प्रदेश में से उत्तरांचल, बिहार में से वनांचल और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जाएगी, जिसमें विवादों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से निपटाने और समयबद्ध कार्यान्वयन का प्रावधान रहेगा।

राष्ट्र और इसके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मेरी सरकार इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। राष्ट्र की सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा हर कीमत पर की जाएगी। हम इस बारे में किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। मेरी सरकार राष्ट्र के साथ मिलकर हमारी सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों की वीरता को नमन करती है जो देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित महसूस करने और भय मुक्त रहने का अधिकार है। आज आम आदमी पर जो आतंकवाद, तोड़-फोड़ और विद्रोही गतिविधियों का खतरा छाया हुआ है, सरकार उसका मुकाबला करने का प्रयास करेगी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मतभेदों का समाधान बातचीत और चर्चा से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

मेरी सरकार सभी राष्ट्रों के बीच शान्ति, विश्व में सभी लोगों की समृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत द्वारा अपनी अधिक भूमिका निर्वाह करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करती है। हम एशिया के देशों की एकता तथा अधिक क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास करेंगे। बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अथवा हस्तक्षेप के पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए फिर से प्रयास किए जाएंगे।

विश्व समुदाय के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके घटकों का पुनर्गठन करना है जिससे कि उन्हें और अधिक प्रजातांत्रिक बनाया जा सके तथा जो समकालीन विश्व का और भी अधिक प्रतिनिधित्व कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के बारे में हमने अपने विचार विश्व समुदाय के सामने रख दिए हैं और हम अपने उद्देश्य के लिए उत्साहपूर्वक जुटे रहेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक-सदस्य के रूप में हम अपने सहयोगी सदस्य देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों को उचित स्थान दिलाने की जिम्मेदारी लेंगे और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक अन्य प्राथमिकता है जिसे हम बढ़ावा देंगे।

सरकार एक राष्ट्रीय मीडिया नीति तैयार करेगी जो हमारी सामाजिक जरूरतों तथा सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सुसंगत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न दृश्य, श्रव्य और प्रिंट मीडिया में हो रही प्रगति को समन्वित करेगी।

स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद अब समय आ गया है कि हम पुन: अपने संस्थानों को सशक्त बनाएं ताकि वे भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन सकें। सरकार ऐसा ही करने का इरादा रखती है और संविधान की समीक्षा करने एवं अपनी सिफारिशें देने के लिए एक आयोग बनाएगी ताकि भूतकाल में जो असामान्य अनुभव हुए हैं, भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो।

इससे पहले मैं, भारत के लोगों को सुशासन देने की सरकार की सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता का उल्लेख कर चुका हूं। यह तभी संभव है जब सरकार नैतिकता और सदाचार की नींव पर खड़ी हो। हम अपने चारों तरफ राजनीति में नैतिकता और शासन में सदाचार के प्रति निरन्तर उपेक्षा भाव को बढ़ता देख रहे हैं। इससे सरकार में लोगों का विश्वास बुरी तरह क्षत-विक्षत हुआ है।

सरकार लोकपाल विधेयक पारित कर सार्वजनिक पद पर बैठे सभी लोगों को जवाबदेह बनाना चाहती है सरकारी गोपनीयता अधिनियम की समीक्षा की जाएगी ताकि सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून को उसमें शामिल किया जा सके। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किए बिना निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जा सकेगा।

भ्रष्टाचार और हमारी राजव्यवस्था में मूल्यों के ह्रास तथा राजनीति

के अपराधीकरण का एक कारण चुनावी प्रक्रिया में दोषों की व्याप्ति है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने और धन तथा बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाएगी, जिसके लिए पहले ही आधारभूत कार्य किया जा चुका है।

आम सहमति-निर्माण राष्ट्र-निर्माण का एक अत्यावश्यक अंग है। समाज की व्यापक भलाई के लिए सहयोग हमारी सभ्यता का आधार है। हमारा लोकतंत्र एक बहु-पार्टी जनतंत्र है जिसमें व्यापक आम राष्ट्रीय सहमति तैयार करने के लिए सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दलों में परस्पर रचनात्मक वार्तालाप, परामर्श एवं सहयोग अत्यावश्यक है।

अत: सरकार जहां तक व्यवहार्य हो आम सहमति से शासन चलाने की पद्धति का विकास करने का प्रयास करेगी। कुछ मुद्दे जिन पर तत्काल राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करने की आवश्यकता है, चुनावी सुधार, केन्द्र-राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बना कर उनका शक्ति संवर्धन, अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक सुधारों को लागू करते समय समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए कारगर संस्थागत गारंटियां प्रदान करना है।

माननीय सदस्यों, आपको आम सहमति की इस प्रक्रिया को तैयार करने में रचनात्मक योगदान करने का एक अमूल्य विशेष अवसर प्राप्त हुआ है जिस पर 21वीं सदी और आगे आने वाली सहस्राब्दी में इस महान् राष्ट्र के भविष्य का दारोमदार है।

यह वर्ष अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। यह हमारी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती वर्ष हैं यह महात्मा गांधी के अमर बलिदान का भी 50वां वर्ष है-जो इस शताब्दी के मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम महात्मा गांधी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के अमर बलिदानों के उत्तराधिकारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके स्वप्नों एवं आदर्शों को साकार करें।

इस अभूतपूर्व कार्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जय हिन्द

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : मैंने नियम 376 का हवाला दे रहा हूं। क्या मैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट रुकिए।

डॉ. जयंत रंगपी (स्वशासी-जिला) (असम) : अध्यक्ष महोदय, 'निधन-संबंधी उल्लेख'...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मंत्रियों का परिचय कराये जाने का मुद्दा लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : पहले राम नाईक मिनिस्टर को मूव करना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. जयंत रंगपी : अध्यक्ष महोदय, 'निधन संबंधी उल्लेख' में आप उन लोगों के नाम छोड़ बैठे हैं जिन्होंने असम के लोकतंत्र के लिए जीवन बलिदान किये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप तक आऊंगा।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, हमें उनकी बात सुननी है। सदस्य महोदय एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। सरकार ने अपने राष्ट्रपतीय अभिभाषण में कहा है कि वह उग्रवाद से लड़ेगी। एक उम्मीदवार की चुनावों के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने 'निधन-संबंधी उल्लेख' में उनके नाम का उल्लेख करने का अनुरोध किया है। मेरा भी आपसे यही अनुरोध है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी से सहयोग कीजिए। अब हम मंत्रियों का परिचय करवाने का मामला लेते हैं।

डॉ. जयंत रंगपी : पिछले चुनावों के दौरान 'अल्फा' ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की थी और यह सभी लोकतांत्रिक मानदंडों और राजनीतिक दलों के विरुद्ध था...*(व्यवधान)*

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट) : क्या आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : वह नाम आज दे सकते हैं और उनके निधन का उल्लेख हम कल कर सकते हैं। इसमें विवाद क्यों होना चाहिए?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी। पहले, हम मंत्रियों का परिचय करवाने का मामला लूंगी।

डॉ. जयंत रंगपी : महोदय, मैं आपका आश्वासन चाहता हूं क्योंकि मैं ऐसा करवाना ही चाहता हूं...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : वह 'निधन-संबंधी उल्लेख' में कुछ और जोड़ने के लिए कह रहे हैं...*(व्यवधान)* कृपया उनकी बात सुनिए और अपना विनिर्णय दीजिए क्योंकि यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता : 'निधन-संबंधी उल्लेख' में जिक्र होना चाहिए...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : कृपया उनकी बात सुन लीजिए और अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में उनकी सुनूंगा।

(व्यवधान)

डॉ० जयंत रंगपी : अध्यक्ष महोदय, चुनावों के दौरान अल्फा ने चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की थी और जनता ने अल्फा के विरुद्ध संघर्ष किया और हमारे दल के चुनाव प्रचार के लिए वहां गये हमारे एक उम्मीदवार को अल्फा राष्ट्र-विरोधी आतंकवादियों ने शूट कर दिया। मैं चाहता हूं कि प्रो० अनिल बरुआ सहित सभी ऐसे लोगों के नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिये। निधन-संबंधी उल्लेख में शामिल किये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : जो लोग मारे गये...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.42 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तथा आपके माध्यम से इस महान सभा को अपने सहयोगियों का परिचय देना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी	— गृह मंत्री
श्री अनंत कुमार	— नागर विमानन मंत्री
श्री सिकन्दर बख्त	— उद्योग मंत्री
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	— रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
श्री जॉर्ज फर्नांडीज	— रक्षा मंत्री
श्री रामकृष्ण हेगडे	— वाणिज्य मंत्री

कुछ माननीय सदस्य : वह यहां उपस्थित नहीं हैं । वह यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डॉ० सत्यनारायण जाटिया	— श्रम मंत्री
श्री राम जेठमलानी	— शहरी विकास मंत्री
डॉ० मुरली मनोहर जोशी	— मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
श्री के० राममूर्ति	— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री मदन लाल खुराना	— संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	— विद्युत मंत्री
श्री एम० तम्बी दुरई	— विधि न्याय और कंपनी काय मंत्री
श्री नीतीश कुमार	— रेल मंत्री
श्री नवीन पटनायक	— इस्पात तथा खान मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	— पर्यावरण और वन मंत्री
श्री काशी राम राणा	— वस्त्र मंत्री
श्री आर० मुथैया	— जल भूतल-परिवहन मंत्री
श्री यशवंत सिन्हा	— वित्त मंत्री
श्री बूटा सिंह	— संचार मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	— सूचना और प्रसारण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री दलित एजिलमलाई	— स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती मेनका गांधी	— कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री बाबागौड़ा पाटील	— ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिलीप राय	— कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ओमाक आपांग	— पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुखबीर सिंह बादल	— उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पंडारू दत्तात्रेय	— शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रमेश बैस	— इस्पात और खान मंत्रालय मे राज्य मंत्री
कुमारी उमा भारती	— मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर० के० कुमार	— वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

कुछ माननीय सदस्य : वह यहां नहीं हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : वह राज्य सभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में व्यस्त हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री मुख्तार नकवी	— सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राम नाईक	— रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल	— रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ॰ देवेन्द्र प्रधान	— जल भूतल-परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ	— संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	— विदेशी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यपाल सिंह यादव	— नागारिक पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री
श्री कादम्बूर एम॰ आर॰ जनार्दनन	— कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बाबूलाल मरांडी	— पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री

अपराह्न 12.49 बजे

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हुई प्राकृतिक आपदा

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, मैं पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की प्राकृतिक आपदाग्रस्तगी पे एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों को "काल बैसाखी" के नाम से पुकारे जाने वाले स्थानीय मौसम से हुए उस महाविनाश की जानकारी होगी, जिसकी चपेट में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, विशेषतया मिदनापुर और बालासौड़ के जिले, आये। रिपोर्टें दर्शाती हैं कि बच्चों सहित लगभग सौ लोग मर गये और बहुत सारे बेघर हो गये हैं। हमें प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से, जिनकी जान-माल की विशेष हानि हुई है, पूरी सहानुभूति है।

आपदा की संगीनता को देखते हुए, मैं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और प्रथम रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु उच्च स्तरीय टीम नियुक्त कर चुका हूं, जिसमें श्री सोम पाल, कृषि राज्य मंत्री और दो सांसद शामिल हैं।

मैंने प्रधानमंत्री राहत कोष से उन लोगों के परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एक करोड़ रुपये भी दे दिये हैं। जो उक्त आपदा में मर गये, घायल हुए, इसके साथ ही, सरकार आपदा राहत कोष से केन्द्रीय सरकार की ओर से उड़ीसा को 10.20 करोड़ रुपये और पश्चिमी बंगाल को 10.60 करोड़ रुपये का अग्रिम जारी कर रही है।

सरकार को मृतकों की संख्या और नुकसान के ब्यौरयुक्त राज्य सरकारों की रिपोर्टों का इंतजार है। जैसे ही राज्य सरकार की रिपोर्टें प्राप्त होंगी, आवश्यक राहत की एक और राशि प्रदान कर दी जायेगी।. ..*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरा मद लेंगे, यानि सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री राम नाईक।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

श्री मुकुल वासनिक (बुलडाना) : महोदय, राज्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए, सरकार को तुरंत ही राज्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में सभी प्रभावित स्थलों के दौरे के लिए एक दल भेजना चाहिए ताकि वह नुकसान का अनुमान लगा सके।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम जानना चाहता हैं कि वे दो सदस्य कौन हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। पहले हमें सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेना है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय प्रधानमंत्री जी वे दो सदस्य कौन हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेजा गया है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : वे दो संसद सदस्य कौन हैं?

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो आपको बैठना चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? मैं बोलने को खड़ा हूं, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हम जानना चाहते हैं कि वे दो सदस्य कौन हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं बोलना चाहता हूं।.. .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति बाद में दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वे दो सदस्य कौन हैं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : हम यह जानना चाहते हैं कि वे दो सदस्य कौन हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का समय दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। यह अच्छी बात नहीं है। मैं पहले से ही बोलने को खड़ा हूं, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.55 बजे

इस समय श्री अनिल बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थानों पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थानों पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया आप अपने स्थानों पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह दुःख की बात है कि आप अपने-अपने स्थानों पर बैठ नहीं रहे हैं। यदि आप अपने स्थानों पर नहीं बैठते हैं तो कोई बात कहे जाने की आप आशा कैसे कर सकते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्ष पीठ का सम्मान करना चाहिए।

अपराह्न 12.58 बजे

इस समय श्री अनिल बसु तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब गृहमंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री जी बोलना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी इस समय बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया आप बैठ जाइये। प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : कृपया हमारी बात सुनिये।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। जब मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हूं तो कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? जब मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हूं तो कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। कृपया पहले हमारी बात सुनिये। उन्होंने समस्याओं का जिक्र किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)* आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और हमें प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए कह रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : राजेश पायलट जी आप सभी प्रक्रियाओं से अवगत हैं। कृपया पहले बैठ जाइये। यह क्या है ? यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पहले बैठेंगे ? यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री आर० एस० गवई (अमरावती) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपसे इस तरह की बात करने की आशा नहीं की जाती है। कृपया आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थिति को स्पष्ट करने का मौका दें।..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे जब मुझे इस प्राकृतिक प्रकोप का समाचार मिला तो मैंने सबसे पहले श्री इन्द्रजीत गुप्त से संपर्क किया, क्योंकि वह मिदनापुर से लोकसभा के प्रतिनिधि हैं। मैंने उनसे कहा कि हम एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहते हैं आप उसमें जाएं तो अच्छा होगा। मगर उन्होंने आज जाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कंटई के एक अन्य सदस्य श्री सुधीर गिरी जी हैं। उनका संसदीय क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। क्या आप कभी उनसे उनके क्षेत्र में हुए विनाश का पता लगा सकेंगे...*(व्यवधान)* क्या आप कभी अन्य सदस्यों से इसका पता लगा सकेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पार्लियामेंट के जो मेम्बर हैं उनमें एक बालासोर के मेम्बर हैं। बालासोर भी तूफान से प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल के मेम्बर भी हैं, उनका नाम कुमारी ममता बनर्जी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें कैसे चुन लिया गया...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.04 बजे

इस समय श्री रामचन्द्र डोम तथा अन्य कई माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आप अपनी सीटों पर जाइए।

अपराह्न 1.05 बजे

इस समय श्री रामचन्द्र डोम तथा अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सभा में व्यवस्था बनाए रखने का आपका यही तरीका है? मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए क्योंकि मेरा राज्य उड़ीसा कठिनाई में है। हालांकि मैं आपका हृदय से इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उड़ीसा का मामला उठाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य की भी सराहना करता हूं, परंतु यह एक बहुत गंभीर मामला है कि प्राकृतिक आपदा के मामले में सरकार राजनीति कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : हमने आपके नेता को सूचित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने श्री इन्द्रजीत गुप्त को सूचित किया था परन्तु आपने कोई जवाब नहीं दिया...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कह तो रहा हूं कि उन्होंने कदम उठाकर सराहनीय कार्य किया है परन्तु जिस ढंग से उन्होंने कार्य किया है उससे ऐसा लगता है कि वह राजनीति का गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी प्राकृतिक आपदा के मामले में। इसलिए मैं विरोधस्वरूप वाक आउट करता हूं।

अपराह्न 1.07 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक (बुलडाना) : आप आम सहमति की बात कहते हैं लेकिन अगर आप इस तरह से बर्ताव करेंगे तो सदन नहीं चल सकता।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : इतनी बड़ी दैविक आपत्ति आई है और आप इस पर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, यह लोग आम सहमति की बात कहते हैं, इसलिए इन्हें आम सहमति और संसद के सदस्यों को साथ लेने की आवश्यकता थी। लेकिन इन्होंने जो व्यवहार किया है वह आम सहमति वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं है, आम सहमति को दर्शाने वाली नीति नहीं है। अगर यह इस तरह से व्यवहार करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम लोगों को उनके साथ आम सहमति रखना बड़ा मुश्किल होगा।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात श्री शरद पवार और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। माननीय गृहमंत्री जी भी मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन लीजिए। मैंने आपको इसकी सूचना दी हुई है।...*(व्यवधान)* प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी जी, कृपा करके बैठ जाइए। मैं आपको कार्य सूची की मदों के समाप्त हो जाने के पश्चात् बोलने का अवसर दूंगा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा आपके निदेशों के अंतर्गत ही है। क्या मैं आपके निदेशों से पढ़कर सुना सकता हूं कि सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के पश्चात् का समय व्यवस्था के प्रश्न के लिए होता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने का समय दूंगा।

श्री हरिन पाठक : लेकिन, पत्र तो अभी रखे जाने हैं... *(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता कि क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उस स्थल का दौरा किया है या नहीं। वे वहां नहीं गए। उनके पास दो-दो हेलीकॉप्टर हैं... *(व्यवधान)* कुमारी ममता बनर्जी वहां गई थीं...*(व्यवधान)* लेकिन यहां वे लंच करने गए हैं। उन्हें भूख लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

अब सभा पटल पर पत्र रखें जाएंगे।

अपराह्न 1.11 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संविधान के अनुच्छेद 123 (क) के अंतर्गत अध्यादेश

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 23 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 23)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 3/98]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 24)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 4/98]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 25)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 5/98]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित उपदान संदाय (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 26)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 6/98]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 27)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 7/98]

(6) राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 28)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 8/98]

(7) राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित प्रसार भारती (ब्राड कास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया) संशोधन दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 29)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 9/98]

(8) राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 30)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 10/98]

(9) राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 1997 को प्रख्यापित लाटरी (विनियमन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 31)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 11/98]

(10) राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1998 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 12/98]

(11) राष्ट्रपति द्वारा 21 जनवरी, 1998 को प्रख्यापित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 13/98]

(12) राष्ट्रपति द्वारा 22 जनवरी, 1998 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 14/98]

(13) राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1998 को प्रख्यापित भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 15/98]

अपराह्न 1.12 बजे

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां—एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महादेय, मैं "विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (1996-97)—एक समीक्षा" के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 5 अंतरिम बजट (रेलवे)—पर चर्चा करेंगे।

माननीय मंत्री, श्री नीतीश कुमार

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : वहां पर सदन की एक कमेटी में जिस...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, अब व्यवस्था का प्रश्न लिया जाना है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.13 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपने स्थान पर जाइए। मैं नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने-अपने सदस्यों को उनके स्थानों पर ले जाएं।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.14 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री नीतीश कुमार

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : आप बाद में बोलिए।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : बजट के बाद नहीं बोल सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नीतीश कुमार को बुला रहा हूं, न कि आपको। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने आपको नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर इससे पहले चर्चा होनी चाहिए। मैंने आपको नोटिस दिया है. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कार्यसूची के अनुसार कार्य करेंगे।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : व्यवस्था के प्रश्न से पहले कोई कार्य नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी बात बाद में सुनेंगे।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने कहा था कि आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है यह कार्यसूची की कोई मद नहीं है। इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : आपको व्यवस्था के प्रश्न को सुनना होगा और उस पर अपना विनिर्णय देना होगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। आप किसानों की बात लें। आज राजस्थान के आठ जिलों में किसान मर गया है। वहां सैंट्रल टीम भेजने की घोषणा प्रधान मंत्री जी कर दें। राजस्थान सरकार छः सौ रुपये हैक्टेयर के हिसाब से दे रही है। किसानों का हाल क्या हो गया है। आज सारे सांसद इस बात को उठा रहे हैं। आप यह आश्वासन दे दें कि राजस्थान में सैंट्रल टीम भेज रहे हैं। आप सैंट्रल टीम भेजने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं ? आज राजस्थान और महाराष्ट्र में दो टीमें भिजवा दीजिए। इन राज्यों के बारे में आप कुछ करिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी का नाम ले रहा हूं।

श्री राजेश पायलट : यह सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय दल भेजने का मामला है प्रधानमंत्री इस संबंध में कुछ कह रहे हैं. ..*(व्यवधान)*

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नियम 376 का उल्लेख कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी का नाम पुकारा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। वहां पर जबर्दस्त ओलावृष्टि हुई है। आप वहां पर भी टीम भेजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नियम 376 का उल्लेख कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को बोलने के लिए कहा है। उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। वहां पर एक भी पैसा नहीं पहुंचा है।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी यही हाल है, आप सदन की समिति बनवाइये और सैंट्रल टीम वहां भेजिये।...*(व्यवधान)* सैंट्रल टीम वहां पर भेजने के लिए आप सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार (बारामती) : आप इन्हें श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के पश्चात् बोलने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति प्रदान करूंगा। उन्हें व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उन्हें आश्वासन दे सकते हैं कि आप इन्हें बारी-बारी से बोलने की अनुमति देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है मैंने श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं सदन का एक अनुशासित सदस्य हूं। मेरी उपेक्षा की जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मेरा नाम लालू प्रसाद है, "यादव" नहीं।

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नियम 376, उपखण्ड (1) और (2) के बारे में बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप ऑल पार्टी के लोगों की टीम वहां भेजे।...*(व्यवधान)*।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : चूंकि वहां प्राकृतिक आपदा आई है और उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से भारी हानि हुई है।. ..*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : सब पार्टियों के लोगों की टीम वहां भेजनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास श्री लालू यादव की भी अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मैं "लालू यादव" नहीं, "लालू प्रसाद यादव" हूं।

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां लालू प्रसाद यादव। मुझे तो लालू जी का प्रसाद चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 376, उपखण्ड (1) और (2) के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए, श्री लालू प्रसाद यादव को नहीं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं तो केवल उनका उल्लेख ही कर रहा था। मैं अविलंबनीय महत्व के मुद्दे के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जिस ओर सभा को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। **दि दीना मलार** तमिलनाडु का एक प्रतिष्ठित समाचारपत्र है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इसका ब्यौरा दूंगा। 50 गुण्डे. ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य मंत्री के बेटे द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। माननीय गृह मंत्री को **दि दीना मलार** समाचारपत्र के दफ्तर पर किए गए आक्रमण के बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय गृह मंत्री को प्रेस की स्वतंत्रता है वक्तव्य देना चाहिए। क्योंकि. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही में मुख्य मंत्री के पुत्र के द्वारा हमला किए जाने के बारे में माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य होना चाहिए।*

उन्होंने **दि दीना मलार** के कार्यालय पर हमला किया है। इसकी जांच सी॰ बी॰ आई॰ के द्वारा होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : तमिलनाडु राज्य में अराजकता की स्थिति है। जब स्थिति अराजक है तो आप या तो सरकार को बर्खास्त कर दें या कार्रवाई करें। माननीय गृह मंत्री को सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह मुख्य मंत्री के पुत्र के द्वारा **दि दीना मलार** समाचार पत्र के कार्यालय पर हमला के संबंध में वक्तव्य देंगे।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री आर० एस० गवई (अमरावती) : मुझे सभी अधिकार प्राप्त हैं।...*(व्यवधान)* दो मिनट कृपया मेरी बात सुनिए। माननीय प्रधान मंत्री ने प्रक्रिया संबंधी नियमों के अंतर्गत वक्तव्य जारी किया है।. ..*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें। मेरा यह विचार है कि उन्हें मौजूदा स्थिति और आपदा से हुई क्षति की संभवत: सही सूचना नहीं मिल सकी होगी। जहां तक इस देश में आपदा का सवाल है मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराता हूं किंतु साथ ही पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य शोरगुल करते हैं।...*(व्यवधान)*

कृपया मेरी बात सुनिए। मेरी बात एकदम संगत है। मेरा सुझाव यह है कि हम संशोधन कर सकते हैं। वास्तव में माननीय सदस्यों को उनका वक्तव्य वितरित कराना नैतिक औरन बाध्यकारी कर्त्तव्य है।...*(व्यवधान)* मुझे इसमें संशोधन करने का अधिकार है। मैं इसमें शेष राज्यों के नामों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन करना चाहता हूं। मैं फिर से उनका उल्लेख करूंगा—मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अगर हम एक-एक मामले को हल करते जाएं, तो अच्छा होगा। अभी गवई साहब ने कुछ राज्यों के बारे में कहा है और मांग की है कि उन राज्यों की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, सब सदस्यों को सुनने के बाद यदि प्रधान मंत्री बोलें, तो ज्यादा अच्छा होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। कृपया पहले उनकी बात सुनिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधानमंत्री महोदय, आप पहले हमारी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान डालना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। प्रधान मंत्री बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रक्रिया अवश्य जानना चाहिए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान डालना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री पहले से ही बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सारे देश में प्राकृतिक प्रकोप के कारण स्थिति बिगड़ने की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं। कुछ जानकारी हमारे पास है, कुछ जानकारी हम तत्काल एकत्र करेंगे और उस सबका समावेश करके आपके सामने एक वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे जिस पर आप बाद में चर्चा कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* सुझाव दे सकते हैं।

अपराह्न 1.28 बजे

अंतरिम बजट (रेल)-1998-99*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेलवे के वर्ष 1998-99 की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)* यह अनुमान 1998-99 के पूरे वित्त वर्ष के लिए हैं। लेकिन 1998-99 की मांगों पर बहस के लिए समय बहुत कम है।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं इस वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के लिए इस अनुमानित खर्च की मांग करने के लिए सदन से लेखानुदान प्रदान करने का निवेदन करूंगा।...*(व्यवधान)* शेष अवधि के खर्च की स्वीकृति अलग से ली जाएगी।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 16/98

1996-97 में निष्पादन की समीक्षा

अब मैं पिछले पूरे वित्त वर्ष 1996-97 के परिचालनिक परिणामों का संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, रेलवे ने वर्ष 1996-97 के दौरान 409.02 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात का लदान किया जो 1995-96 में किए गए लदान से 18.33 मिलियन टन अधिक था अर्थात् इसमें 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।...*(व्यवधान)* यात्री यातायात में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खर्च की तुलना में प्राप्तियों का "आधिक्य" सुधर कर बजट से 201 करोड़ रुपये अधिक हो गया। 1996-97 के लिए बजट अनुमान 8,130 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 8,300 करोड़ रुपये कर दिया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 1.29 बजे

इस समय डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसकी तुलना में वास्तविक खर्च 8,310 करोड़ रुपये हुआ।

संशोधित अनुमान 1997-98

वर्ष 1997-98 के लिए 430 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात का रखा गया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : रेलवे को आशा है कि वे अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी क्योंकि फरवरी, 1998 के अंत तक रेलवे ने 387.35 मिलिटन टन का लदान किया है जो कि इस महीने तक के प्रत्याशित लक्ष्य 386.40 मिलियन टन से अधिक है। इसके साथ-साथ, यात्री यातायात में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सफल यातायात प्राप्तियां

चालू वित्त वर्ष में आमदनी का रुख उत्साहजनक रहा है। इसलिए, संशोधित अनुमान में 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। चूंकि बिजली क्षेत्र से पुरानी बकाया राशियों की वसूली उत्साहजनक नहीं रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसलिए सकल यातायात प्राप्तियों में केवल 800 करोड़ रुपये की वृद्धि की आशा है।

संचालन व्यय

जैसा कि सदन को ज्ञात है, पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को 1997-98 में लागू किया गया है। रेलवे ने इस खर्च को पूरा करने के लिए साधारण संचालन व्यय में 3,300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। आंशिक बकाया राशियों का भुगतान अगले वर्ष तक आस्थागित करने के सरकार के फैंसले के कारण, संशोधित अनुमानों में 2,694 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, कुछ बजट उपरांत कारणों की वजह से जैसे डीजल की कीमतों तथा बिजली की दरों में वृद्धि, उत्पादकता संबद्ध बोनस का अधिक भुगतान, पट्टा प्रभारों तथा बाढ़ आदि से प्रभावित हुए रेल पथ की मरम्मत के कारण इस मद में 284 रुपये की कमी होने की आशा है। फलतः रेलवे को 97-98 के बजट अनुमानों में की गई 2200 करोड़ रुपये पेंशन संबंधी व्यवस्था के अतिरिक्त, इस मद में दायित्व बढ़ जाने के कारण 1,167 करोड़ की और अधिक व्यवस्था भी करनी पड़ी है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.32 बजे

इस समय डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : इसके अलावा, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में 96 करोड़ रुपये की कम जरूरत है। इन सब कारणों से, कुल संचालन व्यय 25,135 करोड़ रुपये से बढ़कर 25,922 करोड़ रुपये हो गया जो कि 787 करोड़ रुपये अधिक है।

इन कमी-बेशियों और शुद्ध विविध प्राप्तियों में मामूली परिवर्तन के कारण शुद्ध राजस्व 3,016 करोड़ रुपये है जबकि बजट अनुमान में यह 3,004 करोड़ रुपये था।

1997-98 के बजट अनुमान में लाभांश के भुगतान के लिए

1,630 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। 1995-96 के वर्षों से संबंधित कुछ समायोजनों के कारण इसे घटाकर 1,546 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इन परिवर्तनों से बजट में प्रत्याशित 1,374 करोड़ रुपये की तुलना में 1,470 करोड़ रुपये के "आधिक्य" के प्राप्त होने की आशा है। इसे 'पूंजी निधि' और 'विकास निधि' में विनियोजित किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार :

वार्षिक योजना 1997-98

वर्ष 1997-98 के लिए रेलवे के विकास कार्यक्रम में कुल 8,300 करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना थी। 8,403 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में सामान्य राजकोष से पूंजी में 170 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और बाजार ऋण के जरिए 370 करोड़ रुपये अधिक जुटाए गए हैं, लेकिन निजी निवेश में कमी रही है।

बजट अनुमान 1998-99

सकल यातायात प्राप्तियां

मैं अब वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों की चर्चा करना चाहूंगा। माल भाड़ा दरों और यात्री किरायों के मौजूदा स्तर पर इस वर्ष के लिए सकल यातायात प्राप्तियां 31,022 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो चालू वर्ष के सोशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 2,367 करोड़ रुपये अधिक है। इस वृद्धि का आधार यात्री यातायात में 5 प्रतिशत की वृद्धि और 450 मिलियन टन का प्रारंभिक लदान है जो कि 1997-98 के लक्ष्य से 20 मिलियन टन अधिक है।

साधारण संचालन व्यय

साधारण संचालन व्यय का अनुमान 23,370 करोड़ रुपये रखा गया है जो चालू वर्ष के सोशोधित अनुमानों से लगभग 2,719 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें सामान्य बढ़ोत्तरियों और 1998-99 तक आस्थागित कर दी गई बकाया राशियों के भुगतान शामिल हैं।

पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बढ़े हुए पेंशन भुगतानों को पूरा करने के लिए पेंशन निधि में 4,000 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है जो कि 1997-98 के संशोधित अनुमानों से 633 करोड़ रुपये अधिक हैं। मूल्यधस आरक्षित निधि में 1,500 करोड़ रुपये का अंशदान रखे जाने का प्रस्ताव है।

सकल संचालन व्यय 28,870 करोड़ रुपये बनता है जिससे 2,152 करोड़ रुपये की शुद्ध यातायात प्राप्तियां बच रहेंगी। शुद्ध विविध प्राप्तियों के जरिए भी 359 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है इस प्रकार शुद्ध राजस्व 2,511 करोड़ रुपये रखा गया है।

वित्तीय परिणाम 1998-98

वर्ष 1998-99 के लिए सामान्य राजस्व को देय लाभांश का हिसाब अनंतिम रूप से 1997-98 के लिए अपनाए गए आधार के अनुसार ही लगाया गया है। सामान्य राजस्व को 1,756 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान करने के बाद 755 करोड़ रुपए के "आधिक्य" का अनुमान है।

वार्षिक योजना 1998-99

1998-99 की वार्षिक योजना अनंतिम रूप से 8,300 करोड़ रुपये पर रखी गई है। मेरा प्रयास रहेगा कि योजना परिव्यय को बढ़ाया जाए ताकि निवेश की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके।

महोदय, रेल परिवहन ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से बहुत ज्यादा किफायती है और सड़क परिवहन की तरह यह पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसके बावजूद, भूतल परिवहन में रेलों का हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है। इस अवांछनीय रुख को रोकने की जरूरत है। पूरी दुनिया में रेल परिवहन में नए सिरे से दिलचस्पी ली जा रही है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय रेलों को और अधिक कारगर बनाया जाए ताकि वे माल और यात्री, दोनों प्रकार के परिवहन में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें।

महोदय, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के गतिशील नेतृत्व में काम करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और रेल परिवार के प्रमुख के रूप में भी गौरव का अनुभव कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

इसमें क्या एतराज की बात आपको लग रही है। मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग सब अगले पांच साल तक पूरा समर्थन दीजिए। आप यहां रहना चाहते हैं तो पूरा समर्थन इधर दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

रेल कर्मचारियों की सभी स्तरों पर कर्त्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा से सम्मानित सदन नि:संदेह सहमत होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि रेलवे को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदन और रेल उपयोगकर्त्ताओं का पूरा समर्थन मिलता रहेगा।

धन्यवाद।

अपराह्न 1.37 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1997-98*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 6 को लें।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं वर्ष 1997-98 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.38 बजे

[अनुवाद]

अंतरिम बजट (सामान्य) 1998-99**

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा):

महोदय,

मैं वर्ष 1998-99 का अंतरिम बजट (सामान्य) प्रस्तुत करता हूं।

यह अंतरिम बजट लेखानुदान के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान अपना कार्य कर सके और अनिवार्य व्यय को पूरा कर सके। अनुदान मांगों और वार्षिक वित्तीय विवरण को जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए हैं, कुछ सप्ताह के समय में नियमित बजट प्रस्तुत करते समय संशोधित किया जाएगा और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। मैं आज ही वित्त विधेयक भी प्रस्तुत करूंगा जिसमें पूरे वर्ष के लिए वर्तमान कर संरचना को ही जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है हम इस बात को देखकर चिन्तित हैं कि वर्ष 1997-98 में संपूर्ण आर्थिक विकास की गति धीमी होकर केवल 5 प्रतिशत रह गई है, कृषि क्षेत्र ने 2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दिखाई है, उद्योग की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है और जनवरी 1998 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान इसकी वृद्धि दर औसतन केवल 4.6 प्रतिशत रही है और जनवरी, 1998 तक हाल के प्रत्येक तीन महीनों में जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, निर्यातों ने डालर मूल्य में नकारात्मक वृद्धि दिखाई है, महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा क्षेत्रों की अड़चनें सर्वविदित हैं, पूंजी बाजार में मन्दी और निराशा की स्थिति बनी हुई है और राजकोषीय हालत अनुमान से कहीं अधिक खराब है।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन प्रवृत्तियों और कठिनाइयों को 1998-99 का नियमित बजट बनाते समय पूर्ण रूप से दृष्टिगत रखा जाएगा जिसे मैं माननीय सदस्यों के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगा। सामान्य आर्थिक समीक्षा को भी इसी के साथ सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नियमित बजट में कृषि एवं उद्योग को स्फुरित करने, निर्यातों को पुन: गतिशील बनाने, सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डा के अनुरूप विदेशी निवेश के अधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करने, बुनियादी सुविधाओं की दशा सुधारने के लिए निर्णायक कदम उठाने, वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशों के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रणाली तैयार करते हुए सरकारी क्षेत्र के सुधार में तेजी लाने और कठोर राजकोषीय अनुशासन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। हमारी सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डा में शामिल दूसरी नई दिशाओं को भी यह प्रतिबिम्बित करेगा।

अध्यक्ष महोदय, विदेशी आर्थिक परिवेश असामान्य अनिश्चितता से परिपूर्ण है। पिछले नौ महीनों में अधिकांश पूर्वी एशियाई देश आर्थिक संकट की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसके कारण अब तक तेजी से बढ़ रही अनके अर्थ व्यवस्थाओं के लिए भारी आर्थिक और वित्तीय विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई दशकों से बनी हुई हमारी अर्थव्यवस्था की यह अन्तर्निहित शक्ति एवं सामर्थ्य है कि हम अपना सिर ऊंचा उठाए रखने में समर्थ बने हुए हैं और एशियाई क्षेत्र में फैले इस आर्थिक झंझावात के सामने हमने घुटने नहीं टेके हैं। परंतु हमें सतत् रूप से सतर्क एवं चौकस रहना चाहिए और अपनी आर्थिक नीतियों को दूरदृष्टि एवं लचीलेपन के साथ चलाना चाहिए। कठिन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद कम मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा संतुलन के साथ तभी हम आर्थिक वृद्धि को पाना सुनिश्चित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1997-98 के लिए संशोधित अनुमानों का सारांश देते हुए सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू कर वसूलियों और विनिवेश प्राप्तियों में भारी गिरावट है। यह अनुमान किया गया है कि केन्द्र के लिए निवल कर राजस्व केवल 99,158 करोड़ रुपये है जो बजट अनुमानों की तुलना में 14,236 करोड़ रुपए की कमी या 12.5 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित करता है। यह कमी मुख्यत: आयातों की कम मात्रा और कम यूनिट मूल्य दोनों के कारण काफी कम सीमा शुल्क राजस्व के कारण है। उत्पाद शुल्क में गिरावट असामान्य रूप से निम्न औद्योगिक वृद्धि का परिणाम है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशों से प्राप्तियों का प्रश्न है, वह 4800 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से 3,894 करोड़ रुपए कम होंगी। कुल व्यय के संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों की तुलना में 3069 करोड़ रुपए अधिक हैं। यह वृद्धि लघु बचत संग्रहणों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों, की अकेली मद पर हुए 4432 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय से कम है। इन संग्रहणों में वर्ष के दौरान आशातीत वृद्धि हुई है। इसका निवल परिणाम यह है कि सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के बजट लक्ष्य से बढ़कर राजकोषीय घाटा 6.1 प्रतिशत हो गया है। परन्तु यदि लघु बचत ऋणों के कारण व्यय में वृद्धि को इसमें शामिल न किया जाए तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

*ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 17/98

ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या एल॰ टी॰ 18/98

को लघु बचत ऋणों के लिए बजट से वृद्धि हेतु समायोजित राजकोषीय घाटा 1997-98 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5.8 प्रतिशत होगा।

जहां तक स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना (वी॰ डी॰ आई॰ एस॰) के अन्तर्गत अनुमानित 10,050 करोड़ रुपये की प्राप्ति का प्रश्न है, मेरे पूर्ववर्ती मंत्री जी ने दिसम्बर, 1997 के अन्त तक इस योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशियों का 77.5 प्रतिशत अर्थात् 4379 करोड़ रुपए राज्यों को देने के निर्णय की घोषणा की थी। प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूं और 1997-98 के पूरे वर्ष के लिए वी॰ डी॰ आई॰ एस॰ की प्राप्तियों के संशोधित अनुमानों का 77.5 प्रतिशत राज्यों को देने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य अतिरिक्त रूप से 3215 करोड़ रुपए प्राप्त करेंगे और इस प्रकार यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में कुल 7594 करोड़ रुपए दी जाएगी।

इसके अलावा, मैं विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं ताकि चालू वित्तीय वर्ष में सभी लम्बित दावों का निपटारा हो सके।

इस प्रकार इन दो निर्णयों के सम्मिलित रूप से राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में 8594 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। यह राज्यों को अधिक सहायता देने की हमारे राष्ट्रीय एजेन्डा की वचनबद्धता के पूर्णतः अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय, तैयार किए गए बजट के अनुसार, चालू वर्ष में 235245 करोड़ रुपए की तुलना में 1998-99 का कुल व्यय 264988 करोड़ रुपए होने का अनुमान किया गया है। इसमें से केन्द्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए सकल बजटीय सहायता 64461 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि चालू वर्ष में यह धनराशि 60630 करोड़ रुपये थी। नियमित बजट में, वार्षिक आयोजना 1998-99 के लिए बजटीय सहायता के स्तर और मदों को पुनरीक्षा करने का हमारा प्रस्ताव है। नवीं योजना की पुनरीक्षा और बजट अनुमानों को संशोधित करने का हमारा दृढ़ संकल्प है ताकि वह हमारी विचाराधारा और प्राथमिकताओं को प्रदर्शित कर सके। नियमित बजट के लिए इस कार्य को यथासमय पूरा करने का हमारा प्रस्ताव है जिसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

चालू वर्ष में 174,615 करोड़ रुपए की तुलना में 1998-99 के आयोजना भिन्न व्यय का अनुमान 200,527 करोड़ रुपए लगाया गया है जो 25912 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। संशोधित अनुमान 97-98 से वृद्धि के मुख्य कारण ब्याज अदायगियों में 10,300 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी, पेंशन में 4,747 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी, रक्षा व्यय में लगभग 3,900 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी और बड़ी आर्थिक सहायताओं में लगभग 1500 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी है।

कराधान की वर्तमान दरों पर कर राजस्वों सहित कुल गैर ऋण प्राप्तियां 168,173 करोड़ रुपए होने का अनुमान किया गया है जबकि कुल व्यय 264,988 करोड़ रुपए अनुमानित है। 1998-99 के इन अनुमानों से होने वाला राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6 प्रतिशत होगा। यह स्पष्टतः स्वीकार्य नहीं है और नियमित बजट में समुचित उपायों से इसे उचित सीमा तक कम करने का हमारा प्रयास होगा।

अध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस संबंध में हमारी विशिष्ट कार्यनीतियों को तैयार करने में हमें कुछ समय लगेगा, फिर भी स्थापना से संबंधित व्यय की वृद्धि को रोकने, और गत वर्षों में हुई प्राप्तियों में कमी से बचने के लिए यथाशीघ्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक होगा।

माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों की साझेदारी के लिए दसवें वित्त आयोग ने एक वैकल्पिक योजना की सिफारिश की थी जिसके अंतर्गत लगभग सभी केन्द्रीय करों की सकल प्राप्तियों का 29 प्रतिशत राज्यों को दिया जाना है। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन रही है। 17 जुलाई, 1997 को आयोजित अन्तर्राज्यीय परिषद की तीसरी बैठक में हुई सहमति के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को सिद्धांततः स्वीकर करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को लागू करने के लिए, जिसका सभी राज्यों ने समर्थन किया है, हमारा इरादा समर्थकारी संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का है।

अंत में, इस सम्माननीय सदन के आदरणीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डा में निहित आर्थिक लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए मैं हर संभव प्रयत्न करूंगा। आर्थिक सुधारों को सुदृढ़, व्यापक और तेज किया जाएगा। हमारा उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से एक मजबूत और गतिशील राष्ट्र बनाना है जो विश्व की अर्थ व्यवस्था में विश्वास और शक्ति के साथ भागीदारी करेगा। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए दृढ़-संकल्प हैं जिसमें भुखमारी, गरीबी, बेरोजगारी और अभावग्रस्तता के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सम्माननीय सदन में बजट पेश करता हूं।

अपराह्न 1.49 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) - 1997-98*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं वर्ष 1997-98 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰ टी॰-19/98

अपराह्न 1.50 बजे

वित्त विधेयक, 1998**

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 9 - वित्त मंत्री वित्त विधेयक, 1998 पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए आय-कर की वर्तमान दरों को जारी रखने संबंधी विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए आय-कर की वर्तमान दरों को जारी रखने संबंधी विधेयक पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 1.52 बजे

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में हुई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, आपकी क्या समस्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बड़ी मुश्किल से बोलने का समय दिया। मैं एक बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, आप जानते हैं कि इस सदन के माननीय सोमनाथ चटर्जी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं। आज जो कुछ सदन में हो रहा है इस संबंध में हम लोगों ने संकल्प लिया था और छ: दिन की लोकसभा भी चली थी। उसमें सबसे अहम मुद्दा यह था कि वैल में न जाया जाए। इस संकल्प का सबसे ज्यादा जोरदार समर्थन सोमनाथ चटर्जी साहब ने किया था, लेकिन आप देखें कि उनके दर्द को नहीं पहचाना गया। इसीलिए मजबूर होकर सोमनाथ चटर्जी जी जैसे एल्डर मैम्बर को भी क्रोध आया।...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (झण्डीगढ़) : ममता जी को भेजने में क्रोध आ गया।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : ममता जी का तो आपको पता चल जाएगा।...*(व्यवधान)* क्या है ममता। ममता जी हाथ जोड़ती थीं कि मुलायम सिंह जी कलकत्ता में न आएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप इनको रोकिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ चटर्जी साहब का कहना था कि स्थानीय पार्लियामेंट के मैम्बर को भी विश्वास में लेना चाहिए था। अगर माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी को विश्वास में लिया था तो गिरि साहब को भी लेना चाहिए था क्योंकि वे भी स्थानीय माननीय सांसद हैं। उनके नेता सोमनाथ चटर्जी जी भी थे। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी अनजाने में यह कह गए होंगे, अन्यथा जरूर सोमनाथ चटर्जी जी को भी विश्वास में लेते। पारदर्शिता की सभी बात करते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि सोमनाथ चटर्जी जी की बात को गंभीरता से सुनिए और अन्य नेताओं की बात को भी सुनिए। जब हमारे देश के गांवों के किसान बर्बाद होंगे तो हमारा देश बर्बाद होगा। उत्तर प्रदेश में दो दिन पहले, परसों रात को पूरी की पूरी सौ फीसदी फसल बर्बाद हो गई। मुझे आठ जिलों की जानकारी है-आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर का हिस्सा, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद।...*(व्यवधान)* मैं पूरे उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं। जहां पर सौ फीसदी फसल ओले पड़ने के कारण बर्बाद हुई है।

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, वे किस बारे में बोल रहे हैं? उनका कोई व्यवस्था का प्रश्न है या वे कोई सूचना देना चाहते हैं? वे पश्चिम बंगाल के बारे में बोल रहे हैं या उत्तर प्रदेश के बारे में? हम यह जानना चाहते हैं कि वे किस बारे में बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : प्रधानमंत्री जी ने सदन को पहले ही यह आश्वासन दिया हुआ है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के बारे में एक रिपोर्ट सदन में लाएंगे। इस स्थिति में वे उनसे क्या चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि सभी नेताओं की बात को आप सुनें और माननीय गिरि जी भी लोकसभा के स्थानीय मेम्बर हैं। और सोमनाथ

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-II दिनांक 25.3.98 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

चटर्जी को भी साथ लेकर तथा और नेताओं को साथ लेकर एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर हिन्दुस्तान के किसानों की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में रिपोर्ट लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ध्यान देंगे तो सुविधा होगी। आपको भी समझने में और हमें भी सहयोग देने में सुविधा होगी-यही हमारा कहना है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, कल से नहीं बल्कि पिछले 15 दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि देश चुनौतियों का सामना कर रहा है और आम सहमति की आवश्यकता है। लेकिन प्रारम्भ जो हुआ है वह बड़ा अशोभनीय है। सहमति कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मुझे दुःख इस बात का है कि प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति पर भी हम लोग उलझ जाते हैं। उलझन सुलझ जाती अगर आप बड़ी कृपापूर्वक एक-दो लोगों की बात सुन लेते। यह बात सही है कि आप इस पद पर नये हैं लेकिन हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर बिल्कुल पुराने हैं। इस सदन की परम्परा को वह जानते हैं। सोमनाथ चटर्जी अगर खड़े होते हैं तो हमारे शर्माजी को नियम की बात नहीं उठानी चाहिए थी। नियम क्या है? केवल नियमों से सदन चलाना चाहेंगे तो सदन नहीं चलेगा। इसलिए एक दूसरे की भावनाओं को भी समझने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : मैंने तो कोई बात उठाई नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : मैं यह कह रहा था कि अगर किसी सदस्य के इलाके में कोई हादसा हुआ है तो उससे सरकार को पूछना चाहिए था। अगर वह सदस्य नहीं था तो उस पार्टी के नेता से पूछना चाहिए था। यह सरकार की भूल है। यह काम प्रधान मंत्री का नहीं है। यह काम उस विभाग का है जिस विभाग के जरिए और मैं समझता हूं वह कृषि मंत्रालय है जो शायद इस काम को देखता है। मुझे ठीक से मालूम नहीं है। मैं नहीं जानता कि किस तरह से किन-किन लोगों ने इस डेलीगेशन को तय किया है। यह एक भयंकर भूल है। उस भूल को स्वीकार करना भी कभी-कभी जरूरी होता है।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : मेरे क्षेत्र में जो कैलेमिटी हुई थी मुझे तो पता तक नहीं था।

[अनुवाद]

मैं वहां खुद ही गया...*(व्यवधान)* किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक बार मेरे अहमदाबाद में कैलेमिटी हुई।...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : क्षमा कीजिएगा, वह भूल नहीं है। आप आम सहमति की बात कर रहे हैं लेकिन जो हाउस में अमेंडमेंट था वह भी पूरा नहीं करने दिया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय सदस्य व्यवधान उत्पन्न कर रहे है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चन्द्रशेखर जी को अनुमति दी है, आपको नहीं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : आप इस शोर से न मुझे गुस्सा दिला सकते हैं और न मुझे चुप करा सकते हैं। मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि अभी मुलायम सिंह जी ने जो सुझाव दिया है सरकार सम्मानपूर्वक और शिष्टाचारपूर्वक उसको स्वीकार करे और ऐसा माहौल बनाए कि सदन में ऐसी विपदाओं पर कम से कम हम सहमति का रास्ता निकाल सकें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : हमें बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा है...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने के लिए कहा गया है। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री को त्वरित कार्यवाही करने के लिए बधाई दी। इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। हम इस बात की सराहना करते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं एक केन्द्रीय मंत्री को प्रभावित क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने और इसके परिणामस्वरूप हुई वास्तविक क्षति का जायजा लेने के लिए भेजने हेतु कदम उठाये। मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा है, प्रभावित लोगों और मंत्री महोदय की सहायता हेतु जब आप ने सांसदों को भेजने का निर्णय ले लिया है तो मैं किसी विशेष सदस्य का विरोध नहीं कर रहा हूं परंतु किस आधार पर यह चयन किया गया।

अपराह्न 2.00 बजे

क्या आप जिसे चाहे भेज सकते हैं। परंतु अगर संबंधित सांसद को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? अतः मैंने निवेदन किया था कि यह प्राकृतिक आपदा का मामला है और इसे राजनीतिक ढंग नहीं दिया जाना चाहिए। जो संसद

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सदस्य गये हैं—हमारे पास इस समय केवल एक नाम है—अन्य नाम हमारे पास नहीं है। उनका चयन राजनीति के आधार पर किया गया है। अतः मेरा एकमात्र निवेदन यह था कि प्रधान मंत्री महोदय द्वारा मेरे अनुरोध को स्वीकार करना उनकी उदारता है।

हमें बताया गया है कि देश को एक सक्षम प्रधान मंत्री मिला है। मैं उन्हें 1971 से जानता हूं। यह मेरी खुश किस्मती है कि मुझे प्रथम स्थान पर बैठे प्रख्यात प्रधानमंत्री महोदय और द्वितीय स्थान पर बैठे श्री आडवाणी जी को जानने का अवसर मिला। यह ऐसा मामला है जिस पर उन्हें स्वयं ही 'हां' बोलनी चाहिए।

मुझे खुशी है कि उन्होंने श्री इन्द्रजीत गुप्त से विचार विमर्श किया। अगर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े गुट को नजरअंदाज करके सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री भूल करेंगे। उन्हें श्री चंद्रशेखर की बात को मानना चाहिए। प्रधान मंत्री ने गलती की है। बड़प्पन दिखाते हुए इस बात को स्वीकार करें कि चूंकि अभी विश्वास मत होना है, इसलिए वर्तमान राजनीतिक कारणों ने उन्होंने ऐसा करने के लिए बाध्य किया। इसलिए वो अलग मानदण्ड अपना रहे हैं।

अतः मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे। मैं यह मांग नहीं कर सकता कि मेरे सदस्य को अलग हवाई जहाज से भेजा जाए। बेशक वो जाएंगे। मगर प्रश्न यह है मंत्री महोदय के साथ जाने के अवसर से वे वंचित हो गये और बाद में जाने वाले सदस्य के लिए लोग कहेंगे कि अन्य सदस्यों की तुलना में संबंधित सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र की कोई चिंता ही नहीं है। इस तरह से वो प्राकृतिक आपदा से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं इसका विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अजित पांजा को बोलने की अनुमति दी है, आपको नहीं।

श्री अजित कुमार पांजा : उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सहायता भेजने के लिए हम प्रधान मंत्री को बधाई देते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। खबर मिलते ही हमने स्वयं ही तुरंत संपर्क किया। उन्होंने अगर इसमें चूक की तो यह उनकी गलती है। इसके लिए कोई और दोषी नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सोमनाथ चटर्जी : क्या इसी सर्वसम्मति का जिक्र आपके सहयोगियों ने किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, आप उन्हें बैठने को कहिए, वो मुझे बोलने से नहीं रोक सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे तो श्री पांजा ने उन्हें नहीं टोका, अब आप श्री पांजा को बोलने दें।

(व्यवधान)

डॉ. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : श्री पांजा को अपने शब्द वापस लेने चाहिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्री इन्द्रजीत गुप्त अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज शाम रवाना हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* पहले प्रधानमंत्री ने उन्हें केवल आधा घंटा पहले सूचना दी थी। स्वाभाविक है कि वे आधे घंटे में वहां रवाना होने के लिए तैयार नहीं हो सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया आप अपने स्थान पर जाइए। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस विषय को उठाने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया है।..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे तो श्री पांजा ने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। अब आपको भी उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, श्री पांजा ने जो कहा है वह असंसदीय है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा। यदि कुछ असंसदीय होगा, तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित

नहीं किया जाएगा। मैंने श्री पांजा को बोलने की अनुमति दी है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो श्री पांजा जी कहेंगे केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अजित कुमार पांजा : तब प्रधानमंत्री ने श्री इन्द्रजीत गुप्त से संपर्क किया, जो मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। महोदय, इसलिए आपको तत्काल जांच-पड़ताल करनी चाहिए कि क्या पश्चिम बंगाल से भी कोई मौके पर गया है। मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यहां तक मुख्य मंत्री भी वहां नहीं गए हैं। कल से कोई भी मौके पर नहीं गया है। किंतु प्रधानमंत्री ने वहां अपना मंत्री भेजा है। सामान्य उड़ान से कोई भी वहां जा सकता था किंतु कोई नहीं गया। जब वे जागे तो उन्हें यह खबर समाचार-पत्रों से मिली।

मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्री महोदय और कुमारी ममता बनर्जी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पश्चिम बंगाल को और सहायता देने पर विचार करें।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने और मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं।...*(व्यवधान)* प्राकृतिक प्रकोप के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, न राजनीति लाने का हमारा इरादा है। जो कुछ हुआ है, अगर उसमें आपको राजनीति दिखाई देती है तो वह मेरी गलती है, मैं उसे स्वीकार करता हूं।

जब मैंने कृषि मंत्री को तत्काल आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाने के लिए कहा तो मैं समझता था कि मिदनापुर के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्री इंद्रजीत गुप्त करते हैं और इसलिए मैंने उनसे तत्काल संपर्क किया। अगर मेरे मन में राजनीति होती तो उन्हें संपर्क करने की क्या जरूरत थी और अगर मुझे पता होता कि चार और भी सदस्य उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें भी भेजा सकता था। अगर वह जाना चाहें तो हम अभी प्रबंध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा जान-बूझकर नहीं किया गया।...*(व्यवधान)*

बालासोर के सदस्य आ गये, कुमारी ममता बनर्जी आ गईं। उनका कहना है कि अगर कृषि मंत्री जा रहे हैं तो मैं जाना चाहती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसको कैसे मालूम हुआ कि स्पेशल प्लेन जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कहा आप जाइये, लेकिन. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बात चंद्रशेखर जी से कहना चाहूंगा. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं मिदनापुर के कुछ भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपने मुझे सूचित नहीं किया।...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, अब श्री सोमनाथ चटर्जी को माननीय ग्रह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जाने दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कौन क्या बोल रहा है... *(व्यवधान)* आप बैठिये।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि जान-बूझकर किसी की उपेक्षा की जाए या राजनीति खेली जाए इसका विचार मेरे मन से कोसों दूर है। 40 साल प्रतिपक्ष में रहने के बाद मैंने कभी ऐसा आचरण नहीं किया जिस पर अंगुली उठाई जा सके, जिस पर आपत्ति की जा सके। क्या इस सदन में अपनी बात कहने के लिए यह जरूरी है कि कुएं में कूदा जाए और स्पीकर महोदय के पास तक जाया जाए। हर सदस्य को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। और अगर मुलायम सिंह जी या श्री लालू प्रसाद यादव कोई बात कहना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देश की प्रतीक्षा करूंगा। प्रदेश में अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो किस प्रदेश में कितनी आपदा आई है, कितना नुकसान हुआ है, तत्काल कितनी राहत पहुंचाने की जरूरत है, कितने स्थाई उपाय करने की आवश्यकता है, इस सबका ब्यौरा जैसा मैंने कहा कि इकट्ठा किया जा रहा है और अगर आपका निर्देश होगा तो सदन के सामने रख दिया जायेगा। मैं इस विषय पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए तैयार हूं और जो पंचों की राय होगी वह मैं करने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : महोदय, जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। मेरे विचार से यह रवैया सभा को अच्छे ढंग से चलाने में सहायता करेगा। मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, इस विपदा के बारे में जो समस्या इस सभा में उठाई गई है, निश्चित तौर पर अधिक महत्व पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को दिया गया है और वह सही भी है। किंतु राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों में भी समस्याएं

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शरद पवार]

हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे सूचनाएं एकत्रित करवाएंगे और सभा में एक वक्तव्य देंगे। मेरे विचार से यह सत्र मंगलवार तक चलेगा। यदि मंगलवार से पूर्व वह वक्तव्य दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके दल के सभी वरिष्ठ नेता बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मैं एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा की सूची में बोडोलैंड क्षेत्र भी जोड़ दिया जाये जो कि सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बोडोलैंड में एक विशेष दल भेजिए जो मौके पर जाकर स्थिति का जायजा ले। माननीय प्रधानमंत्री और इस सम्माननीय सभा से मेरा यह विनम्र निवेदन है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री ने गंभीर स्थिति के बारे में सब लोगों के विचार सुन लिए हैं। वे शीघ्र ही इस बारे में एक वक्तव्य देंगे। किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सभा 26 मार्च, 1998 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 26 मार्च, 1998/5 चैत्र, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/1/3/98 (एन०)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।